

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर खेत ख.नं. 229 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम गोपालपुरा तन लोटिया का वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काष्टकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। निर्णय आज दिनांक 20.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

